



प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

30प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11**लखनऊ:दिनांक: 16-02-2026**

विषय:- जनपद सहारनपुर में सहारनपुर-अम्बाला रेल सेक्शन के सम्पार सं0-96सी कि0मी0 200/16-18 निकट शाहजहाँपुर पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(सेतु), लोक निर्माण विभाग के पत्र सं0- 1/298015/2025/PWD-BDD60ESTM/183/2025-BDD6 दिनांक 03-10-2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद सहारनपुर में सहारनपुर-अम्बाला रेल सेक्शन के सम्पार सं0-96सी कि0मी0 200/16-18 निकट शाहजहाँपुर पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु निर्माण कार्य की मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-200/2023/1/345933/2023/23/11099(099)/163/2021, दिनांक 08.07.2023 द्वारा लागत ₹0 6966.84 लाख (जिसमें मुख्य सेतु रेलवे भाग की लागत ₹0 2416.73 लाख तथा भूमि अध्याप्ति की लागत ₹0 795.09 लाख, पहुँच मार्ग आदि की लागत ₹0 3755.02 लाख सम्मिलित है) की प्रदान की गयी थी। प्रश्नगत परियोजना की लागत में वृद्धि के कारण रेल उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण योजनान्तर्गत प्रश्नगत कार्य की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत ₹0 8483.55 लाख (जिसमें मुख्य सेतु (रेलवे पोर्शन) की लागत ₹0 4761.21 लाख, यूटिलिटी शिफ्टिंग की लागत ₹0 52.81 लाख एवं पहुँच मार्ग आदि की लागत ₹0 3669.53 लाख सम्मिलित है) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र0	जनपद का नाम	कार्य का विवरण	मूल स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित स्वीकृत लागत
1	सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में सहारनपुर-अम्बाला रेल सेक्शन के सम्पार सं0-96सी कि0मी0 200/16-18 निकट शाहजहाँपुर पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु निर्माण का कार्य ।	6966.84	8483.55

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
- (2) प्रायोजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (4) मूल प्रायोजना के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि पर कार्यदायी संस्था द्वारा अर्जित ब्याज विभाग द्वारा नियमानुसार राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- (5) प्रायोजनान्तर्गत कन्टीजेन्सी मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
- (6) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। विभाग का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही विभाग का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/स्टील/बिटुमिन इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जायेगा।
- (7) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त यथाआवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (8) प्रायोजनान्तर्गत यूटिलिटी शिफ्टिंग यथा विद्युत लाइन की शिफ्टिंग हेतु लागत ₹0 51.06 लाख, वन विभाग हेतु लागत ₹0 1.75 लाख को सम्मिलित करते हुए लागत का आंकलन किया गया है। इन कार्यों के क्रियान्वयन से पूर्व विभाग द्वारा अपने स्तर से यूटिलिटी शिफ्टिंग के प्रस्तावित कार्यों का Verification & revalidation कराते हुए निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें एवं तदुसार यूटिलिटी शिफ्टिंग की लागत अनुमन्य की जायेगी।
- (9) प्रायोजनान्तर्गत एलाइनमेंट में हुए परिवर्तन के कारण भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं है।
- (10) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित मार्ग की लेपित चौड़ाई एवं फारमेशन चौड़ाई इत्यादि तथा पक्के स्ट्रक्चर यथा-पुल, पुलिया, ड्रेन इत्यादि का निर्माण आईआरसी/लोक निर्माण विभाग के सुसंगत मानकों के अनुसार कराये जाने का उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था को होगा।
- (11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ विभाग का होगा।
- (12) प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। आर0ओ0बी0 निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, आर०ई०वाल् एबेटमेन्ट आदि में परिवर्धन/परिवर्तन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (14) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25-01-2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक 1054 सड़क तथा सेतु- 800 अन्य प्राप्ति-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट कर जमा की जायेगी।
- (15) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (16) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।
- (17) व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- (18) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर प्रत्येक दशा में व्यय किया जायेगा।
- (19) प्रश्नगत रेल उपरिगामी सेतु (रेलवे पोर्शन के कार्य को छोड़कर) के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था 30प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 होगी।
- (20) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
- (21) वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (22) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमद के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय जाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022 10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (23) सेन्टेज चार्ज (प्रशिक्षित प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबन्धन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (24) परियोजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी पक्षों/तथ्यों व उनके परीक्षण/सत्यापन तथा इस परियोजना के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग का होगा।
- (25) उक्त परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-200/2023/1/345933/2023/23/11099(099)/163/2021, दिनांक 08.07.2023 की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।
- (26) प्रश्नगत परियोजना 12 माह के अन्दर पूर्ण कराने तथा टाइम ओवर रन एव कास्ट ओवर रन इत्यादि के कारण प्रायोजना के पुनरीक्षण नहीं होगी की पूर्ण जिम्मेदारी प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियंता(सेतु)/सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग एवं प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0राज्य सेतु निगम लिमिटेड की होगी।
- (27) उपरिलिखित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियंता(सेतु)/सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग एवं प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0राज्य सेतु निगम लिमिटेड का होगा।
- (28) प्रश्नगत रेल उपरिगामी सेतु परियोजना को सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पंजीकरण संख्या-202500003102759 है।
- 2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-57 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-101-पूल-05-रेलवे उपरिगामी सेतु-0516-रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य तथा अनुदान संख्या-83 लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिलों तथा अन्य सड़के-789-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-15-रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं का निर्माण(चालू कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-8-915-X-2025-26 दिनांक: 09.02.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)

अनु सचिव ।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज
- 4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज
- 5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
- 7- महाप्रबन्धक संबंधित रेलवे।
8. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 10- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलकट्टे, लखनऊ।
11. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 12- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
- 13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन
- 14- राज्य योजना आयोग- 1/2, उ0प्र0 शासन।
- 15- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 16- लोक निर्माण अनुभाग- 1/9/10/12 एवं 14. उ0प्र0 शासन।
- 17- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 18- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)

अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।